

कॉपी जारी
24/6

सं. 17014/22/2013-आइ.रज. VII

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

आर. टा. आइ. मामला

जाति तालिका

स्पॉट पोस्टर

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 24-06-2013

सेवा में,

श्री राजकुमार पाण्डे,
कार्यालय सचिव,
राष्ट्रीय शिव-सेना भवन,
मेन-बौक, शाहदरा,
नई दिल्ली - 110032.


विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना

महोदय,

अवर सचिव (डी पी- II), केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय के दिनांक 19 जून, 2013 के पत्र सं 14011/13/2013-दिल्ली-1 (रज.सौ) के तहत अधोहस्ताक्षरी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को अंतरित दिनांक 14-5-13 का अपना आवेदन परेवे।

2. इस संबंध में आपके द्वारा दिनांक 14.5.2013 के पत्र द्वारा बिनु 3 से संबंधित मांगी गई सूचना आपको अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र सं 17014/22/2013-आइ.रज. VII दिनांक 3-6-2013 के द्वारा दी जा चुकी है जिसका अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद अलगान है।

संलग्न: 3 (कोपी)



अवधाय,
(राजेश कुमार गुप्ता)
निदेशक (आइ.रज. VII)
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
O/C

आर टी आई मामला

अति तत्काल

सं. 17014/22/2013-आई एस.VII

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 3.06.2013

सेवा में,

श्री राज कुमार पाण्डे,
कार्यालय सचिव,
राष्ट्रीय शिव सेना भवन,
मेन चौक, शाहदरा
नई दिल्ली-11032

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना।


महोदय,

कृपया अवर सचिव (डी पी-11), केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय के दिनांक 30 मई, 2013 के पत्र सं. यू. 14011/13/2013-दिल्ली-1 (एन सी) के तहत अधोहस्ताक्षरी, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को अंतरित दिनांक 14.5.2013 का अपना आवेदन देखें।

2. आपके आर टी आई आवेदन के बिन्दु सं. 1 और 2 के बारे में उत्तर पहले ही अवर सचिव (डी पी-11) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय द्वारा दिया जा चुका है। जहां तक आपके आर टी आई आवेदन के बिन्दु सं. 3 का प्रश्न है, आपके द्वारा मांगी गई सूचना अधोहस्ताक्षरी, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में अनुरक्षित नहीं की जाती है। कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के संदर्भ में आप संबंधित सूचना पंजाब राज्य सरकार से प्राप्त कर सकते हैं।

3. इस उतर के संबंध में कोई भी अपील, यदि हो उसे 30 दिनों के भीतर श्री राकेश सिंह, संयुक्त सचिव (आई एस-1) एवं अपील प्राधिकारी, कमरा सं. 197-बी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को प्रस्तुत की जा सकती है।

भवदीय,



(राजेश कुमार गुप्ता)

निदेशक (आई एस-111)

एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

हिन्दी अनुभाग कृपया संलग्न
सूचना का आधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्
का हिन्दी अनुवाद कर इस अनुभाग को
श्रीमती शोचन-मिजवाज का कल्ल करें।

अनुभाग अधिकारी
हिन्दी अनुभाग

संभव काल
24-6-13
(संजय कुमार)
अनुभाग अधिकारी
आई.एस.पी.
गृह मंत्रालय

183/सि/2013
24/6/13

श्री मुखर्जी
श्री शर्मा

No.17014/22/2013-IS.VII
Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi
Dated the, 3rd June, 2013

To

Shri Raj Kumar Pandey,
Office Secretary,
Rashtriya Shiv Sena Bhawan,
Main Chowk, Shahdara
New Delhi-110 032.

Subject: Information under the Right to Information Act, 2005


Sir,

Kindly refer to your application dated 14-05-2013 transferred to the undersigned CPIO by Under Secretary (DP II) CPIO, MHA vide letter No.U.14011/13/2013-Delhi.I (NC) dated 30th May, 2013.

2. The reply in respect of Point No.1 and 2 of your RTI application has already been provided to you by Under Secretary (DP II) CPIO, MHA. So far as Point No.3 of your RTI application is concerned, the information sought by you is not maintained in the office of undersigned CPIO. The Law & Order being a state subject, you may obtain the requisite information directly from the State Govt. of Punjab, in terms of Section 6(1) of the RTI Act, 2005.

3. An appeal if any, against this reply, may be preferred within 30 before Shri Rakesh Singh, Joint Secretary (IS-I) & Appellate Authority, Room No.197-B, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi.

Yours faithfully,



(Rajesh Kumar Gupta)
Director (IS.III) & CPIO

dc